The 9th January, 1985

No. 28-GA-87-D/1798.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by Government at public expenses for a public purpose namely Constructing a road from Gurgaon Bhadurgarh Road to Link to Mankraula to Daraula in Gurgaon District, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This diclaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officers-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon and the Executive Engineer, Provincial Division, P. W. D., B and R. Branch Gurgaon.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality	H. B. No.	Area in Acres	Rect. No.	Remarks
Gurgaon	Gurgaon	Mankraula	42	0.42	6 24/2 9 4/2, 4/3/1, 5/1, 5/2, 6	
93×18.29 4046.86			Total	0.42		

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Gurgaon Circle, P. W. D., B and R Branch,
Gurgaon.

श्रम विभाग

दिनांक 2 जनवरी, 1985

सं० ओ०वि०/यमुना/63-84/170.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० परिवहन आयुक्त, हरियाणा (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर, के श्रमिक श्री बनारसी दास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री बनारसी दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे० पी० रतन,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।